तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेंइनिशियल्स	नम्बर अहकाम तामील
11/8/21	वकील स्टीकेन 340/ पटवारी हल्का लेखपाल से मौका रिपोर्ट तलब हुई। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल दाखिल हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

क्र0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
1/14	अस्थायी निषेधाज्ञा	24.09.14	11.08.2021

01. श्यामलाल
02. लक्खीलाल
03. जगदीश
04. केशर बेवा मूला

पूत्रान मूला जातियान मीना निवासीयान लोंगटीपुरा (सलेमपुर) तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

—प्रार्थीगण

बनाम

01. गिर्राज पुत्र जौहरी (मृतक)
    1/1 भीमसिह
    1/2 भूरसिह
    पुत्रान गिर्राज
    1/3 गुड्डी
    1/4 रिसाल
    1/5 मल्लो पत्नि गिर्राज
    पुत्रीयान गिर्राज
02. रामकेश
03. हरकेश
04. छाजूलाल
    पुत्रान जौहरी
05. सदाकौर बेवा जौहरी (मृतक)
06. बृजलाल पुत्र रामफूल
07. रामस्वरूप पुत्र रामफूल

सभी जातिगण मीना निवासीयान लोंगटीपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

08. अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक (राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक) शाखा सलेमपुर जरिये प्रबन्धक बड़ौदा ग्रामीण बैंक सलेमपुर तहसील सपोटरा।
09. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा तहसील सपोटरा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितः– श्री मदनमोहन गुप्ता एड0 वकील प्रार्थीगण।
श्री श्यामप्रकाश गर्ग एड0 वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम सलेमपुर तह0 सपोटरा की आराजी ख0नं0 962 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, ख0नं0 988 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 1043 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 1100 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा है जिनके साविक खसरा नं0 मिलान क्षैत्रफल सम्बत् 2015 के अनुसार 705, 721, 722, 784, 771, 788/1 है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पितामह श्योपाल पुत्र सीतोला व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के पितामह अप्रार्थी सं0 6, 7 के पिता रामफूल पुत्र जसराम के समय की संयुक्त खातेदारी व कब्जे की पुश्तैनी आराजीयात है जिसके खाते की इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खाता चारसाला मौजा सलेमपुर मे प्रार्थीगण के पितामह श्योपाल पुत्र सीतोली व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के पितामह अप्रार्थी सं0 6, 7 के पिता रामफूल पुत्र जसराम के हक मे समान हिस्सा 1/2, 1/2 के रहे है, इस प्रकार विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 7 के पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। जिसके प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है और काबिज काश्त है। प्रार्थीगण मृतक श्योपाल व मूला के वैध वारिसान हैं। आराजी खसरा नं0 962, 988, 1043, 1100 ग्रम सलेमपुर तहसील सपोटरा मे

Court Dicision/470

स्थित है। उक्त आराजीयात के साविक खसरा नं0 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2015 के अनुसार 705, 721, 722, 784, 771, 788/1 है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पितामह श्योपाल पुत्र सीतोला व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के पितामह अप्रार्थी सं0 6, 7 के पिता रामफूल पुत्र जसराम जाति मीना निवासी सलेमपुर के समय की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात है जिसके खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खाता चारसाला मोजा सलेमपुर मे प्रार्थीगण के पितामह श्योपाल पुत्र सीतोली व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के पितामह अप्रार्थी सं0 6,7 के पिता रामफूल पुत्र जसराम के हक मे समान हिस्सा 1/2, 1/2 के रहे है इस प्रकार विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 7 के पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है। खसरा नं0 961 मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 की शामलाती बोरिंग सिंचाई हेतु बनी हुई है जिसे शामलाती निर्मित कराई गई है। विवादित आराजीयात खसरा नं0 962,988,1043,1100 के सम्वत् 2015 मे वक्त सेटिलमेंट अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के पितामह एवं अप्रार्थी सं0 6 व 7 के पिता रामफूल ने सेटिलमेंट कर्मियों एवं राजस्व कर्मियों से साजिश कर प्रार्थीगण के पिता श्योपाल से छिपाते हुए अपने हक अवैध खातेदारी इन्द्राज करा लिए है जिसे दुरस्त कराने की एवं बंटवारा कराने की अप्रार्थीगण से कहा तो अप्रार्थीगण साफ इन्कार हो गये और आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने व आराजी मे अवैध निर्माण करने व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे व्यवधान करने की एलानिया धमकी दी और प्रार्थीगण से झगड़ा करने पर आमादा फिसाद हो गये। विवादित आराजीयात मे अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 अवैध खातेदारी इन्द्राज के सबब अवैध निर्माण करने पर तुले हुए है। दिनांक 06.05.2018 को खसरा नं0 961 के मध्य मे नींव खोदकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है और 3 फुट उंची दासाबंदी करदी है और निरंतर निर्माण जारी है। इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 8 बावजूद तामील उपस्थित नही आये इसलिए इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं 5 की फौत होने के कारण इसके वारिशान पूर्व से ही अप्रार्थी सं0 2 ता 5 प्रकरण मे संयोजित होने से इनका नाम हजफ किया गया। अप्रार्थी सं0 1/1 ता 1/5, 2 ता 4, 6 तथा 7 ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट मुकदमा सं0 53/14 न्यायालय हाजा मे लंबित है जिसके चलते दर0 हाजा चलने योग्य नही है। विवादित आराजीयात से प्रार्थीगण का कोई ताल्लुक नही है। प्रार्थीगण के ना तो कोई खातेदारी हकूक है ना ही काबिज है। विवादित आराजीयात का श्योपाल व रामफूल के समय से ही मौके पर हिस्से हो रहे है और बीच मे डोल डल रही है। खसरा नं0 961 मे अप्रार्थीगण के हिस्से मे अप्रार्थीगण के खर्चे से लगभग 20 साल पहले बोर करायी थी जिस पर बृजलाल, रामस्वरूप व जौहरी के नाम से बिजली के बिल का भुगतान करते है। खसरा नं0 961 मे अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण की पुरानी मकानियत बनी हुई है जो दावे से पहले की है जिसमे बृजलाल व उसका परिवार मय गृहस्थी के सामान के साथ रह रहे है। विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण वाहिद वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन इन विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण के बुजूर्ग रामफूल वाहिद खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज थे। सैटिलमेंट विभाग द्वारा जमीनों का अप्रार्थीगण के बुजूर्ग रामफूल के नाम इन्द्राज सही किये गये है। अप्रार्थीगण के हिस्से पर रामफूल वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज था। रामफूल के राम खातेदारी की गई तथा खसरा नं0 987, 989, 1052 पर मूला/श्योपाल टीनेन्सी एक्ट लागू होने के समय खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज थे। ये नम्बर मूला के खाते में दर्ज किये गये और इसी अनुसार पक्षकारान अपने अपने खाते की जमीनों पर वाहिद वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है जिसकी वादीगण/प्रार्थीगण को मूला के समय से जानकारी हरी है। प्रार्थीगण ने दर0 में सही तथ्यों को छिपाया हैं खसरा नं0 987, 989, 1052 के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के खिलाफ अपनी वाहिद खातेदारी दर्ज करते हुए दावा उनवानी श्यामलाल बनाम

बृजलाल न्यायालय हाजा मे पेश कर रखा है जो न्यायालय मे लंबित है जो वादीगण/प्रार्थीगण का स्वीकृत तथ्य है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के पितामह श्योपाल पुत्र सीतोला व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के पितामह व अप्रार्थी सं0 6 व 7 के पिता रामफूल पुत्र जसराम के समय की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात है। जिसके खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खाता चौसाला सम्बत् 2007–10 मौजा सलेमपुर मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के पितामह व अप्रार्थी सं0 6 व 7 के पिता रामफूल पुत्र जसराम के ह कमे समान हिस्सा 1/2, 1/2 के रहे है। खसरा नं0 961, 1101, 1062 प्रार्थीगण के पिता मूला पुत्र श्योपाल व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के पितामह व अप्रार्थी सं0 6 व 7 के पिता रामफूल पुत्र जसराम के समय की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1/2–1/2 हिस्सा है। सम्बत् 2015 में वक्त सैटिलमेंट कर्मियों व राजस्व कर्मियों से साजिश कर प्रार्थीगण के पिता श्योपाल व पिता मूला से छिपाते हुये अपने ह कमे अवैध खातेदारी इन्दाज करा लिये। इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म किया जावे तथा निर्णय से पूर्व विवादित आराजीयात के मौके के रिपोर्ट तलब की जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा है अप्रार्थीगण के बुजूर्ग सैटिलमेंट से पूर्व से ही विवादित आराजीयात पर काबिज थे। प्रार्थीगण के पिता मूला की सोपरेट अन्य जगीने है। विवादित आराजीयात का मौके पर बाहमी बंटवारा हो रहा है और अपने अपने हिस्से पर काबिज है। खसरा नं0 961 मे अप्रार्थीगण में अप्रार्थीगण की बोर है जिस पर बिजली कनेक्शन अप्रार्थीगण का लगा हुआ है। इस बोर व बिजली कनेक्शन से प्रार्थीगण का कोई ताल्लुक नही है। खसरा नं0 1060 प्रार्थीगण की जमीन थी जिस पर मकानात बने हुये है जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। सैटिलमेंट के समय से ही अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के शिकमी काश्तकार है। खसरा गिरदावरी सम्बत् 2016–18 के अनुसार अप्रार्थी सं0 6 व 7 के पिता रामफूल का नाम विवादित आराजीयात मे दर्ज रहा है जिससे अप्रार्थीगण का विवादित आराजीयात में कब्जा साबित है। शामलाती जमीन का मौके पर अपने अपने हिस्से पर कब्जा है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2073–76 ग्राम सलेमपुर विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र से संबंधित दावा बंटवारा, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसमे प्रार्थीगण ने ग्राम सलेमपुर के आराजी खसरा नं0 962, 988, 1043, 1100 किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा के 1/2 हिस्से की घोषणा खातेदारी का अनुतोष एवं आराजी खसरा नं0 961, 1062, 1101 कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा का बंटवारा का अनुतोष चाहा है। प्रकरण मे पटवारी हलका सलेमपुर से उक्त विवादित आराजीयात के मौके की रिपोर्ट तलब की गई है जिसके अनुसार खसरा नं0 961, 1060, 988 मे पक्षकारान पक्का आवास बनाकर लगभग 17 वर्षो से निवास कर रहे है जिनका विवरण निम्न प्रकार है। खसरा नं0 961 रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा मे प्रतिवादी सं0 7 बृजलाल पुत्र रामफूल के पुत्र लाखन, मुकेश, मानसिह ने पक्का आवास बनाकर निवास कर रहे है एवं सिचाई हेतु बोरिंग करवा रखी है। खसरा नं0 1060 मे रामकेश, हरकेश, छाजूलाल पिता जौहरी प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने एवं प्रतिवादी सं0 1 के वारिसान प्रतिवादी सं0 1/1 व 1/2 शेरसिह व भूरसिह पिता गिर्राज ने पक्का आवास बनाकर निवास कर रहे है। खसरा नं0 988 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा मे रामस्वरूप पुत्र रामफूल प्रतिवादी सं0 7 पक्का आवास बनाकर निवास कर रहे है। अन्य खसरों मे अपने अपने हिस्से की भूमि मे वर्तमान में बोई जाने वाली फसल बाजरा, तिल वगै0 की काश्त कर रखी है। खसरा नं0 1060, 1061, 961, 988 मे उक्त खसरों की मेड पर आने जाने के लिए रास्ता सहखातेदारों की सहमति से बना रखा है। पत्रावली मे उपलब्ध बिजली का बिल अप्रार्थीगण के नाम से है। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर की नजीर आरबीजे (26) 2019 महादीरया मीना बनाम मुरारी पेश की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है– राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955–धारा 211– सह भागीदारों द्वारा दावा जब दोनों पक्षकारों ने सारी भूमि का जुबानी बंटवारा कर लिया है व स्वतंत्र रूप से अपनी जमीन पर काश्त कर रहे है, उनके निवास स्थान भी अलग–अलग चिन्हित है, इसलिए धारा 211 के तहत एक पक्षकार को उसकी सम्पत्ति में निर्माण करने से नही रोका

जा सकता क्योंकि जुबानी बंटवारा हो चुका है। यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है। इसरो यह स्पष्ट है कि पक्षकारान ने मौके पर आपस मे विवादित आराजीयात का बाहमी बंटवारा कर रखा है और उन पर अपने अपने हिस्से पर रिहायशी मकान बनाकर निवास कर रहे है तथा फसल काश्त कर रहे हैं। आराजी खसरा नं0 962, 988, 1043, 1100 मे प्रार्थीगण ने दावे मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपने अपने हक तय होने है तथा खसरा नं0 961, 1062, 1101 मे प्रार्थीगण ने केवल बंटवारा का अनुतोष चाहा है। इसलिए अप्रार्थीगण को केवल खसरा नं0 962, 988, 1043, 1100 मे ताफैसला दावा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 962, 988, 1043, 1100 के राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे। ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 961, 1062, 1101 मे अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली